न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 70 / 2022(2022 /)

1 बालू पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी उगानखेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रार्थी

◆ बनाम ◆

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित–
प्रार्थी वकील :– श्री नवल किशोर पारीक
पैरोकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम उगानखेड़ा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2070–73** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
99–113	1146/976	0.16	बारानी 2
	27	1.25	गै.मु.खड्डा
	470	0.11	गै.मु.पाल
	473	0.53	नहरी 1
	875	0.06	चाही 2
	90	0.75	बारानी 1
	971	0.27	चाही 1
	977	0.04	गै.मु.पाल
	कुल किता 8	रकबा 3.17हैक्टर	

प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात मे स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी की आराजीयात की सीमा को लेकर काश्त करने मे आये दिन विवाद होता है। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर नाप चौप करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाने चाहता है। जिससे भविष्य में प्रार्थी की सीमा को लेकर कोई विवाद नही हो सके। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात बाबत पर नाप चौप करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाने अप्रार्थी को आवेदन दिया गया परन्तु अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी का नाप नही करवाया। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात बाबत पर नाप चौप प्रार्थनापत्र दिया गया परन्तु अप्रार्थी ने कोई सुनवायी नही की गई जेस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत करने का कारण ब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अप्रार्थी को लैण्ड लोर्ड होने व राजस्व रेकार्ड के संधारण रख रखाव रने से आवश्यक फरीक बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर ायी सीमा चिन्ह व पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 99–113 के कुल किता 8, कुल रकबा 3.17हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner